न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस
राजस्व अपील :: 32/2021
जीसीएमएस नम्बर :: 2021/334

अपीलाण्ट्स :-	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स :-
रूपा पुत्र पनाजी, जाति भांबी, निवासी चाटेलाव, तहसील रोहट, जिला पाली (राज.)		1. मृत मगना पुत्र देवा के कायम मुकाम 1/1. रूपाराम पुत्र मगना घांची, निवासी निम्बली, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली (राज.) 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रोहट जिला पाली।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, श्री धनश्याम सिंह राजपुरोहित, श्री धीरेन्द्र सिंह राजपुरोहित

रेस्पोडेण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री दौलतराम मकवाना

-:: नि र्ण य ::-

दिनांक :- 27.05.2024

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध ग्राम चाटेलाव, पटवार हल्का बिठू के नामान्तरकरण संख्या 87 सन् 1975 नायब तहसीलदार (द्वितीय) पाली द्वारा स्वीकृत किया गया उसे निरस्त कराने हेतु पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, श्री धनश्याम सिंह राजपुरोहित, श्री धीरेन्द्र सिंह राजपुरोहित व रेस्पोडेण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री दौलतराम मकवाना वक्त बहस उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक्त बहस अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम चाटेलाव के खसरा संख्या 211 में से 15 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 22.05.1973 को किया गया था, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद नहीं होने तथा रेस्पो. मगना के नाम बिना किसी वैद्य आवंटन आदेश के अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 87 के आधार पर दर्ज होने से उक्त रेस्पो. के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय, सहायक कलक्टर, पाली के न्यायालय में वाद संख्या 13/1992 बाबत् खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था, जो दिनांक 28.01.1994 को स्वीकार कर अपीलाण्ट को खातेदार घोषित किया गया, जिसके आधार नामान्तरकरण संख्या 399 द्वारा अपीलाण्ट को राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज किया गया। तब से लेकर आज तक अपीलाण्ट राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के रूप में दर्ज है। उपरोक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध न्यायालय, सहायक कलक्टर रोहट व न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के यहां अपील प्रस्तुत की। न्यायालय, सहायक कलक्टर रोहट ने प्रकरण संख्या 8/2014 को न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी पाली में अपील लम्बित होने से खारिज कर दिया। इसी दौरान रेस्पोडेण्ट द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध जैर आराजी के संबंध में खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद संख्या 51/2013 न्यायालय, सहायक कलक्टर रोहट के न्यायालय में पेश किया जो दिनांक

न्यायालय जिला कलक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

04.03.2020 को खारिज कर दिया गया। इसी दौरान रेस्पोडेण्ट ने अपीलाण्ट को किये गये आवंटन दिनांक 22.05.1973 को निरस्त कराने हेतु एक अपील न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली में अपील संख्या 20/2015 पेश कर दी जो वर्तमान में लम्बित है। जैर नामान्तरकरण में दर्ज तथाकथित आवंटन आदेश संवंत् 2020 को निरस्त करवाने हेतु अपीलाण्ट ने न्यायालय हाजा में प्रकरण संख्या 03/2019 नियम 14(4) के अन्तर्गत पेश किया जिसमें निर्णय दिनांक 08.10.2021 पारित करते हुए माना कि रेस्पोडेण्ट के नाम किसी प्रकार का आवण्टन आदेश ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में बिना आदेश के आवंटन को निरस्त करने का कोई औचित्य नहीं है साथ ही अपीलाण्ट द्वारा जैर नामान्तरकरण के विरूद्ध व अपने पक्ष में पारित आवण्टन आदेश के संबंध में उपखण्ड अधिकारी पाली द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.01.1994 द्वारा खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये है। इसलिए तथाकथित आवण्टन को निरस्त करने की आवश्यकता ही नहीं है। जैर नामान्तरकरण बिना किसी आदेश के, बिना किसी आवंटन के अवैध व फर्जी रूप से रेस्पो. संख्या 01 के पक्ष में दायर करते हुए संवंत् 2020 में आवण्टन होना बताकर नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 05 में गैर खातेदार दर्ज करते हुए कॉलम संख्या 11 में खातेदार दर्ज किया है, जो इन्द्राज अवैध है क्योंकि उससे पूर्व उपरोक्त भूमि दिनांक 22.05.1973 को अपीलाण्ट को आवण्टन हो गई थी, अपीलाण्ट बहैसियत आवण्टी खातेदार के काबिज काश्त कर रहा है। अतः जैर नामान्तरकरण विधि विरूद्ध व बिना आवण्टन आदेश के स्वीकृत होने से रेस्पो. संख्या 01 मगना की हद तक निरस्त फरमावे। इसके संबंध में अधिवक्ता अपीलाण्ट ने न्यायिक दृष्टान्त 2022(1)RRT 493, 2023(2)RRT 1115(SC), 2008(2)RRT1183(HC), 2002(1) RRT 648 (HC) पेश किये।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स ने बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि जैर नामान्तरकरण 87 सन् 1975 आवण्टन आदेश के अनुसार व नियमानुसार ही स्वीकृत किया गया है, आवण्टन आदेश का न मिलना ही जैर नामान्तरकरण को खारिज करने का एकमात्र आधार नहीं माना जा सकता। वर्ष 1994 को किसी अन्य आवण्टन आदेश की आड़ में अपीलाण्ट को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे जिससे स्पष्ट है कि जैर नामान्तरकरण के बारे में जानकारी सन् 1994 को हो गई थी फिर भी अपीलाण्ट यह अपील लगभग 27 वर्ष बाद प्रस्तुत की है जो कि पूर्णतया मियाद बाहर है। अतः अपीलाण्ट द्वारा आधारहीन अपील प्रस्तुत की गई जो काबिले खारिज है।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

प्रकरण में पेशसुदा रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा यह अपील विवादित नामान्तरकरण संख्या 87 सन् 1975 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण में यह भी स्पष्ट होता है एवं जैसे कि अपीलाण्ट भी कहते है कि अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर पाली के यहां राजस्व वाद संख्या 13/1992 वर्ष 1992 में प्रस्तुत किया गया जिसमें सहायक कलक्टर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28.01.1994 से वादी को खातेदार घोषित किया गया। उक्त निर्णय दिनांक 28.01.1994 जो वर्ष 1992 में वाद प्रस्तुत किया गया उसमें पृष्ठ संख्या 03 पर उक्त विवादित नामान्तरकरण संख्या 87 बाबत् पूर्ण विवेचन किया गया है तथा यह वाद अपीलाण्ट द्वारा ही विरूद्ध रेस्पोडेण्ट प्रस्तुत किया गया था अर्थात् अपीलाण्ट को सचेष्ट रूप से उक्त नामान्तरकरण की जानकारी वर्ष 1992 यानि कि जैर अपील के दर्ज होने के (वर्ष 2021 से) 29 वर्ष पूर्व भी थी तथा अपीलाण्ट को उक्त वाद द्वारा खातेदार घोषित किया जा चुका है जिसकी अपील विचाराधीन होना बताया गया है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड अनुसार वर्तमान में भी अपीलाण्ट खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध आवण्टन निरस्तीकरण का प्रकरण संख्या 03/2019 भी प्रस्तुत किया गया जिसमें आवेदन की क्रम संख्या 03 में स्वयं प्रार्थी ने जैर नामान्तरकरण संख्या

जिला कलक्टर, पाली

87 का वर्णन अंकित किया है अर्थात् अपीलाण्ट को वर्ष 2019 में भी उक्त विवादित नामान्तरकरण की जानकारी थी। वर्ष 2014 में रेस्पोडेण्ट द्वारा आदेश 09 नियम 13 का आवेदन किया जिसमें अपीलाण्ट के पक्ष में की गई खातेदारी घोषणा को निरस्त किये जाने का आवेदन पेश किया उसमें भी अपीलाण्ट को विवादित नामान्तरकरण की जानकारी है अर्थात् अपीलाण्ट सचेष्ट रूप से वर्ष 1992 से उक्त विवादित नामान्तरकरण के बारे में भली प्रकार से विज्ञ है। अपीलाण्ट का मूल कथन यह है कि उक्त नामान्तरकरण बिना किसी आवण्टन आदेश के अवैद्य, फर्जी व कूटरचित स्वीकृत किया गया है। इसलिए ऐसे प्रकरण में मियाद लागू नहीं होती है। अपीलाण्ट द्वारा पेशसुदा मियाद पर वर्णित नजीरे जिनका हमने ऊपर उल्लेख किया है वे सभी इस प्रकरण से सुसंगत नहीं है क्योंकि सिर्फ मूल आवण्टन आदेश नहीं मिल पाने के कारण उसे हम **इस स्तर पर** अवैद्य, कूट एवं फर्जी नहीं मान सकते। विशेष रूप से तब जबकि जैर नामान्तरकरण के स्थान पर जो कि सरसरी, फोरी एवं वित्तीय प्रक्रिया है, साथ ही अपीलाण्ट को नियमित वाद में खातेदारी अधिकार उपखण्ड अधिकारी के यहां दर्ज वाद से वर्ष 1994 में प्राप्त हो चुके है तथा उसकी अपील भी विचाराधीन है तो हम इस स्तर पर उक्त नामान्तरकरण को उपरोक्त वर्णितानुसार अवैद्य, कूट एवं फर्जी नहीं मान सकते तथा उपरोक्त वर्णन अनुसार अपीलाण्ट द्वारा अपीलाण्ट को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी वर्ष 1992 से ही होने एवं अब उसके पक्ष में खातेदारी घोषणा हो जाने के उपरान्त मियाद कण्डोन किए जाने के कोई विधिक एवं तथ्यात्मक आधार नहीं पाते। अतएव अपीलाण्ट द्वारा वर्णित कथनों एवं उक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत मियाद को कण्डोन किए जाने के कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक आधार जबकि मियाद करीब 32 वर्ष की सचेष्ट जानकारी की है, उसे कण्डोन किया जाना उचित नहीं समझते। अतः विवादित नामान्तरकरण संख्या 87 की यह अपील बेरून मियाद होने से खारिज की जाती हैं।

निर्णय आज दिनांक **27.05.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली